भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4957
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल शिक्षा की अपर्याप्त सीटें

4957. श्री सुशील कुमार सिंह:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:
प्रो. सौगत राय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): देश में अवर स्नातक चिकित्सा शिक्षा सीटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख): मेडिकल सीटों की कुल संख्या की तुलना में नीट के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का अनुपात कितना है;

(ग): देश में सीमित मेडिकल सीटों के क्या कारण हैं और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में क्या बाधाएं हैं;

(घ): चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों के विदेशों में जाने के क्या कारण हैं जिससे विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ड.): क्या इस तरह के प्रवास का कारण भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए भारी फीस और पर्याप्त चिकित्सा सीटों की कमी है; और

(च): क्या सरकार का विचार चिकित्सा शिक्षा में फीस को युक्तिसंगत बनाने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए विदेशों में छात्रों की संख्या को कम करने के लिए एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित नीति में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च) : देश में 89,875 स्नातक सीटें हैं। ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एनईईटी स्नातक परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले और उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है: -

वर्ष	2021
पंजीकृत छात्रों की संख्या	16,14,777
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	8,70,074
सीटों की संख्या	89875

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (i) में निजी चिकित्सा संस्थाओं और सम विश्वविद्यालयों ,जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित हैं, में पचास प्रतिशत सीटों के संबंध में शुल्क और अन्य सभी प्रभारों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान है । तदनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इन्हें दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया था।

<u>अनुलग्नक</u>

देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत एमबीबीएस कॉलेजों (एम्स और जेआईपीएमईआर सहित) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची ।							
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**सरकारी कॉलेज**	**सरकारी सीटें**	**निजी कॉलेज**	**निजी सीटें**	**कुल योग कॉलेजों**	**कुल योग सीटें**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	100	0	0	1	100
2	आंध्र प्रदेश	13	2410	18	2800	31	5210
3	अरुणाचल प्रदेश	1	50	0	0	1	50
4	असम	8	1100	0	0	8	1100
5	बिहार	12	1490	8	1050	20	2540
6	चंडीगढ़	1	150	0	0	1	150
7	छत्तीसगढ़	8	965	4	600	12	1565
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	150	0	0	1	150
9	दिल्ली	8	1222	2	200	10	1422
10	गोवा	1	180	0	0	1	180
11	गुजरात	17	3650	13	2000	30	5650
12	हरियाणा	5	710	7	950	12	1660
13	हिमाचल प्रदेश	6	720	1	150	7	870
14	जम्मू और कश्मीर	8	985	1	100	9	1085
15	झारखंड	7	630	2	250	9	880
16	कर्नाटक	19	2900	41	6795	60	9695
17	केरल	10	1555	21	2650	31	4205
18	मध्य प्रदेश	14	2135	9	1600	23	3735
19	महाराष्ट्र	28	4630	31	4820	59	9450
20	मणिपुर	2	225	1	150	3	375
21	मेघालय	1	50	0	0	1	50
22	मिजोरम	1	100	0	0	1	100

23	ओडिशा	9	1350	4	750	13	2100
24	पुद्दुचेरी	2	380	7	1150	9	1530
25	पंजाब	5	750	6	800	11	1550
26	राजस्थान	17	3030	9	1650	26	4680
27	सिक्किम	0	0	1	150	1	150
28	तमिलनाडु	37	5175	32	5250	69	10425
29	तेलंगाना	11	1790	23	3550	34	5340
30	त्रिपुरा	1	125	1	100	2	225
31	उत्तर प्रदेश	35	4178	32	4500	67	8678
32	उत्तराखंड	4	525	2	300	6	825
33	पश्चिम बंगाल	20	3150	7	1000	27	4150

*****